मेहताब एस. गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह से पहले, जे.जे.
सुम एर सिंह एम ए एल आईके-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. **2006** की संख्या **16596**
30 अक्टूबर **2008**

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद। **226**-हरियाणा पशु चिकित्सा

मुख्यालय और क्षेत्र (समूह सी) सेवा नियम, **1999**—परिशिष्ट 'ए'-प्रतिवादी फ़ीड

एनालिटिक्स के पद के लिए वेतनमान कम कर रहे हैं कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से

हालांकि वैधानिक नियम अधिक वेतनमान प्रदान करते हैं - क्या किसी कर्मचारी को

विभाग और संबंधित पद पर लागू नियमों के तहत प्रदान किए गए पद से कम

वेतनमान सौंपा जा सकता है - माना जाता है, नहीं - उत्तरदाताओं की कार्रवाई

टिकाऊ नहीं है, विवादित आदेश दिनांकित महानिदेशक द्वारा पारित **7** अगस्त **2006**

को निरस्त कर दिया गया।

निर्धारित किया गया है कि। वैधानिक नियम रुपये के वेतनमान का प्रावधान करते हैं।
फीड एनालिटिक्स पद के लिए 5500- 9000 रुपये। प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि आज तक उक्त पैमाना क्षेत्र पर कायम है। उत्तरदाताओं का यह रुख है कि सुधार प्रक्रिया प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा शुरू की गई है, - अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2006 के माध्यम से, लेकिन आज

तक, उक्त सुधार प्रभावी नहीं हुआ है, - जिसके तहत पद पर वेतनमान फ़ीड एनालिटिक्स को रुपये तक सही करने की मांग की गई है। 5450- 8000 से 5500- 9000। याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें तैयार किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, जिसमें क़ानून का बल है और जब तक उक्त नियम लागू रहते हैं, याचिकाकर्ता उक्त नियमों के आधार पर दावे का हकदार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैधानिक नियम रुपये के वेतनमान का प्रावधान करते हैं। फ़ीड एनालिटिक्स के पद के लिए 5500- 9000 रुपये, उत्तरदाता विपरीत रुख नहीं अपना सकते हैं और कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से उक्त पद का वेतनमान 5400- 8000 रुपये कम कर सकते हैं। इस प्रकार, उत्तरदाताओं की उक्त कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है और महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा पारित 7 अगस्त, 2006 का आक्षेपित आदेश नहीं दिया जा सकता।
कायम रहना.

(पैरा 6 एवं 7)

रवि वर्मा, याचिकाकर्ता के वकील।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.
(1) एकमात्र प्रश्न जिसका निर्णय वर्तमान में होना आवश्यक है
याचिका यह है कि क्या किसी कर्मचारी को विभाग और संबंधित पद पर लागू नियमों के तहत दिए गए वेतनमान से कम वेतनमान दिया जा सकता है?

(2) याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह के रूप में काम कर रहा है पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा में फ़ीड एनालिटिक्स। याचिकाकर्ता के अनुसार, पहले उक्त पद की सेवा को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं थे। हालाँकि, हरियाणा सरकार ने पहली बार हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय और फील्ड (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1999 बनाए, जो 22 सितंबर, 1999 को फ़ीड एनालिटिक्स के पद के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर लागू हुए। , यह उक्त नियमों के परिशिष्ट ए में प्रदान किया गया था जो इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थायी	कुल	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
2	फ़ीड एनालिटिक्स	—----	01	01	रु. 5500—175—8300—ईबी—175—9000

(3) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि वेतनमान क्या है रुपये दिए गए हैं। 5500-9000. उक्त नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता का वेतन तय किया गया था क्योंकि वह फ़ीड एनालिटिक्स के पद पर था। अब, आदेश/पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2006 द्वारा, याचिकाकर्ता का वेतनमान घटाकर रु. 5450-8000 इस आधार पर कि उक्त वेतनमान सेवा नियमों में गलत तरीके से दिया गया है और वास्तव में, फीड एनालिटिक्स के पद का संशोधित वेतनमान रुपये था। 5450—8000 1 जनवरी 1996 से प्रभावी, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 1998 में अधिसूचित किया गया है। इस पत्र/आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के वेतनमान को कम करने के अलावा, याचिकाकर्ता से वसूली का भी आदेश दिया गया है।

(4) नोटिस जारी होने पर, उत्तरदाताओं ने डाल दिया है उपस्थिति में और लिखित बयान दाखिल करते हुए कहा कि वर्ष 1999 में, विभागीय नियम बनाए गए थे जिसमें अनजाने में यह दिखाया गया है कि फीड एनालिटिक्स के पद पर रुपये का वेतनमान है। 5500— 9000 जबकि उक्त पद का सही वेतनमान रु. 5450- 8000। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले ही पत्र संख्या 7.1.1998 स्था. द्वारा मुद्रण त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। III/3 दिनांक 7 अगस्त, 2006। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से रुपये का वेतनमान दिया गया है। 5500- 9000 और वह भी महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी, हरियाणा-प्रतिवादी नंबर 2 की मंजूरी/सत्यापन के बिना। यह विवादित नहीं है कि आज तक याचिकाकर्ता की सेवा को नियंत्रित करने वाले विभागीय नियम वेतनमान प्रदान करते हैं। रुपये का फीड एनालिटिक्स पद के लिए 5500- 9000 रुपये।

(5) हमने पक्षों के वकील सुने हैं।

(6) वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। वैधानिक नियम रुपये के वेतनमान का प्रावधान करते हैं। फीड एनालिटिक्स पद के लिए 5500- 9000 रुपये। प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि आज तक उक्त पैमाना क्षेत्र पर कायम है। उत्तरदाताओं का यह रुख है कि सुधार प्रक्रिया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई है, - अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2006 के माध्यम से, लेकिन आज तक, उक्त सुधार प्रभावी नहीं हुआ है, - जिसके तहत वेतनमान पर फ़ीड एनालिटिक्स की पोस्ट को सही करके रुपये करने की मांग की गई है। 5450- 8000 रुपये से। 5500- 9000। याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है। भारत के संविधान में क़ानून का बल है और जब तक उक्त नियम प्रभावी हैं, याचिकाकर्ता उक्त नियमों के आधार पर दावे का हकदार है।

(7) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैधानिक नियम इसके लिए प्रावधान करते हैं

वेतनमान रु. फीड एनालिटिक्स पद के लिए 5500— 9000 रु उत्तरदाता विपरीत रुख नहीं अपना सकते हैं और कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से उक्त पद का वेतनमान घटाकर रु. 5450—8000। इस प्रकार,

उत्तरदाताओं की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2006 (अनुलग्नक पी-5) को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कायम रहना.

(8) उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2006 (अनुलग्नक पी-5) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।